

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0, बलरामपुर।

दिनांक-06.02.2023

आज दिनांक-06.02.2023 को प्रार्थी/अभियुक्त हामिद अली द्वारा प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के विरुद्ध फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा दिया गया था और मुकदमे में प्रसंज्ञान होने के पश्चात प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में याचिका योजित किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.12.2019 अपास्त करते हुये पुनः पत्रावली पर परशीलन करके आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है जिसकी कापी प्रार्थी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। और उपरोक्त पत्रावली में कल दिनांक-05.02.2023 को प्रार्थी को संबंधित थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय पर लाया गया था जबकि प्रार्थी के गिरफ्तारी अधिपत्र पर किसी भी पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं बना था और गिरफ्तारी अधिपत्र पर धारा-504,506 भा0दं0सं0 लिखा है जबकि मुकदमे में आरोप पत्र धारा-419,420 भा0दं0सं0 में आया है। प्रार्थी को न्यायालय पर गिरफ्तारी के बाद पेश करने पर प्रार्थी द्वारा अण्डरटेकिंग इस बात का देकर कि प्रार्थी दिनांक-06.02.2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, दिनांक-05.02.2023 को संबंधित रिमाण्ड-मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किया गया था। जिसके बावत प्रार्थी द्वारा आज न्यायालय के समक्ष अपनी हाजिरी माफी प्रस्तुत किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि दिनांक-05.02.2023 को रिमाण्ड-मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पत्रावली में संलग्न है इसके अतिरिक्त गैर जमानतीय अधिपत्र व जी0डी0 भी संलग्न है। रिमाण्ड-मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेखित किया गया है कि मु0 सं0-1415/21/2019 अं0धारा-504,506 भा0दं0सं0 थाना-पचपेड़वा द्वारा अभियुक्त हामिद अली को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तारी अधिपत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर नहीं है। जिस दिन वारंट जारी हुआ था उस दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर थी। साथ में संलग्न गैर जमानतीय अधिपत्र का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र मामला सं0-1415/21/2019 सरकार बनाम हामिद अली अंतर्गत धारा-504,506 भा0दं0सं0 थाना-पचपेड़वा जनपद- बलरामपुर का वारंट कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात पीठासीन अधिकारी दिनांक-04.02.2023 को प्रशिक्षण हेतु आई0आई0पी0ए0, दिल्ली गयी हुयी थी। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि दिनांक-04.02.2023 को निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र मामला सं0-1415/21/2019 पर धारा-504,506 भा0दं0सं0 का उल्लेख किया गया है जबकि पत्रावली धारा-419,420 भा0दं0सं0 से संबंधित है।

अतः कार्यालय अहलमद यह स्पष्ट करें कि उनके द्वारा बिना पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के गैर जमानतीय अधिपत्र क्यों और किन परिस्थितियों में निर्गत किया गया एवं संबंधित पैरोकार यह स्पष्ट करें कि उन्हें गैर जमानतीय अधिपत्र किसके द्वारा प्राप्त कराया गया और बिना पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के संबंधित पैरोकार ने उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र क्यों प्राप्त किया और संबंधित थाने को क्यों प्राप्त कराया।

उपरोक्त लिपिक एवं पैरोकार अपना-अपना लिखित स्पष्टीकरण अगली नियत पेशी तक प्रस्तुत करें ताकि विधिवत समुचित कार्यवाही की जा सके।

आदेश की एक-एक प्रति संबंधित को प्रेषित की जाये।

दिनांक-06.02.2023

Self attested

शशि मोतम
प्रथम अपर सिविल जज

जू0डि0/जे0एम0.

बलरामपुर।

शशि मोतम,
प्रथम अपर सिविल जज
09-02-23पीठासीन अधिकारी
राम प्रसन्न सिंह
06-02-23(पीठासीन अधिकारी)
06-02-23